न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 55/2024
जीसीएमएस सं. – 2024/84

प्रार्थीगण :

1. मदनसिंह पुत्र गोपाराम जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बास पीपाड़ शहर

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. तारासिंह पुत्र भंवरसिंह पुरोहित पुरोहितो की बास पीपाड़ शहर।
2. चम्पाकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी माधुसिंह जाति पुरोहित निवासी उद्देशनगर कोसाणा
3. दरियाव कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी भोपालसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो का बास मालकोसनी तहसील बिलाड़ा
4. मनीषा पुत्री भंवरसिंह पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी राजपुरोहितो का बास बाड़ीया, मण्डलनाथ तहसील मण्डोर जोधपुर
5. सुन्दर कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी भैरूसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो का बास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली ।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री जगदीश प्रसाद दवे प्रार्थी की ओर से
श्री बाबुलाल विश्नोई अप्रार्थी सं. 1 से 5

निर्णय

दिनांक : 24.09.2025

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम पीपाड़ शहर का स्थायी मूल निवासी है एव कृषि कार्य एवं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता आया है। ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा में प्रार्थी की एकल खातेदारी कब्जासुद्धा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1360 क्षेत्रफल 0.8818 हैक्टेयर, किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है। जिस पर आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कट्टाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1360 पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1361 से की भूमि के उत्तरी–पूर्वी माँठ के सहारे सबसे नजदीकी व सुलभतम रास्ता की भूमि में से विद्यमान है। जिस रास्ता की चौडाई करीब 20 फुट है। वादग्रस्त रास्ता को नजरी नक्शे मे लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है। संलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावे। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1360 पर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आने जाने हेतु सबसे नजदीकी व सुलभतम रास्ता खसरा नम्बर 1361 की उत्तरी–पूर्वी माठ के सहारें स्थित वादग्रस्त रास्ता ही है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही है। वादग्रस्त रास्ता की चौड़ाई 20 फुट रखते हुए वादग्रस्त रास्ता को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावे। वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है जिसे राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावे जिसमें अप्रार्थीगण संख्या एक से पाच कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगें। प्रार्थी नियमानुसार श्रीमान न्यायालय हाजा के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या एक से पांच को वादग्रस्त रास्ता की भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 1360 क्षेत्रफल 1.3996 हैक्टेयर भूमि में आने जाने का वादग्रस्त रास्ता, संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य दर्शाये रास्ते को रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमायें। नक्शे में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जाने का आदेश फरमावे एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थी के उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष मे अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से वकील बाबुलाल विश्नोई ने वकालतनामा और जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी ने राजस्व सीमा पीपाड़शहर के सरहद में आये हुए खेत नम्बर खसरा 1360 में आने–जाने हेतु रास्ते की मांग की हैं जिसके पड़ौस में अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1361 बताया हैं जबकि अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1361 पीपाड़ शहर की सरहद में नहीं आया हुआ हैं। प्रार्थी ने सम्भवतः किसी अन्य खातेदारों के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1361 की जगह उत्तरदाता को पक्षकार समायोजित किया है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से श्रीमान के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। प्रार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत व्यक्ति हैं जो पेंशनभोगी है जबकि अपने प्रार्थना पत्र में मजदुरी कर परिवार के पालन पोषण करने के कथन किये हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते के विद्यमान होने के स्वीकृति दी हैं यानि कि वर्तमान में 20 फिट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी के लिए विद्यमान हैं इसलिए धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस स्थिति में लागु नहीं होते हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

समावेश नहीं हैं यथा धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ते के लिए पारस्परिक रूप से आपसी समझौता का प्रयत्न किया जाना आवश्यक हैं। विधि निर्माताओं का उद्देश्य इस तत्व के समायोजन में यह रहा हैं कि पड़ौसी काश्तकार एक दूसरे के मन में विद्वेष भावना नहीं रखे। आपसी समझौता करके रास्ते का समाधान करने का प्रयत्न करें। उसमें विफल हो जाते हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटायें। प्रार्थी के सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में पारस्परिक रूप से प्रयास करने का एक शब्द भी अंकित नहीं किया हैं। यानि कि धारा 251क के आज्ञापक प्रावधानों का पालना प्रार्थी ने नहीं किया हैं। अतः प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रारम्भिक आपत्तियां स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जिसके अनुसार उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया जिसमें अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना पाया गया । उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार मौका पर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 455 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ते की भूमि के डी.एल.सी. दर की गणना करने पर निम्न अनुसार राशि होना पाया ।

खसरा नम्बर	रकबा	राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी	कुल देय
361	0.0455 हैक्टयर	491548 X 2	44730/–

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि डी.एल.सी.दर से गणना कर पालना रिपोर्ट तैयार की गई ।

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में पुनः निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी को ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 1360 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1361 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, जवाब वकील अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 1360 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1361 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिया जाना उचित हैं।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अतः राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 1360 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1361 में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.0455 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 491548/– की गणना से कुल मालियत राशि रूपये 44730/– बनती है, रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.0455 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि रूपये 22365/– रूपये बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 44730/– रूपये बनती है। प्रार्थीगण राशि 44730/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 44730/– रूपये का चैक/ डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)